

## कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा), मुजफ्फरपुर।

—: संशोधन :-

वाद संख्या-08/20.01.14 (श्री नृपेन्द्र शाही बनाम् मुखिया, चन्द्रहटी, कुढ़नी एवं अन्य )  
उपस्थित-श्री रमेन्द्र नाथ राय (मनरेगा)

तिथि-20.05.2015

उक्त वाद में ज्ञापांक-63 दिनांक-20.05.2014 में आदेश के कंडिका-3 में अंकित " इस संदर्भ में डी0पी0सी0, मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता द्वारा किये गए आपराधिक कार्यों के अनुसंधान हेतु प्राथमिकी सक्षम पदाधिकारी के सम्मुख दर्ज करावें।" को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है- "इस संदर्भ में डी0पी0सी0 के द्वारा अपने स्तर से मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता द्वारा किये गए आपराधिक कार्यों के अनुसंधान हेतु प्राथमिकी सक्षम पदाधिकारी के सम्मुख दर्ज कराई जाए।"  
शेष यथावत रहेंगे।

ह/०

लोकपाल (मनरेगा),  
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 64 / मुज0, दिनांक- 20 / 05 / 2015

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी--सह--जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ समर्पित कि विभागीय ज्ञापांक-175362 दिनांक-27.01.2014 के कंडिका 14.2 के आलोक में ए0टी0आर0 भेजने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :- संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय  
20/5/15  
लोकपाल (मनरेगा),  
मुजफ्फरपुर।

